भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1289
30 **जुलाई**, 2024 **को उत्तर दिए जाने के लिए**

एनएसएपी के अंतर्गत पात्रता मानदंड

1289. श्री सुखदेव भगत:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पात्रता मानदंड सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत पेंशन योजनाओं का विवरण क्या है;
(ख) वर्तमान में विभिन्न योजना के अंतर्गत शामिल किए गए पात्र लाभार्थियों और कुल व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;
(ग) 2019 से, वर्ष-वार विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय बजट का परिव्यय और व्यय क्या है; और
(घ) पेंशन के भुगतान में विलंब को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के कमजोर वर्गों जैसे वृद्धों , विधवाओं और दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करना हैं। एनएसएपी के तहत तीन पेंशन योजनाओं का ब्यौरा और पात्रता मानदंड **अनुबंध-I** में दिए गए है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन लाभार्थियों की अधिकतम सीमा (राज्य कैप) या एनएसएपी पोर्टल पर डिजिटलीकृत लाभार्थियों की संख्या, जो भी कम हो , के आधार पर किया जाता है। एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्यवार कुल संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) वर्ष 2019 से एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन योजनाओं का वर्षवार परिव्यय और व्यय **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ) पेंशन के त्वरित वितरण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एनएसएपी के अंतर्गत लाभार्थी डेटा का डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग, आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली आदि जैसे उपाय अपनाए गए हैं।

****

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1289 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत पेंशन योजनाओं का ब्यौरा और पात्रता मानदंड

i. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ₹ 200/- प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹ 500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता।

ii. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को ₹ 300/- प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को ₹ 500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता।

iii. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना – गंभीर या बहु दिव्यांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ₹ 300/- प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹ 500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1289 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-II

एनएसएपी की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार लाभार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या		
		आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस
1	आंध्र प्रदेश	663736	246832	24412
2	बिहार	3157256	634221	127100
3	छत्तीसगढ़	644429	203628	32085
4	गोवा	7308	5886	466
5	गुजरात	620548	276078	20327
6	हरियाणा	259865	70808	16583
7	हिमाचल प्रदेश	93178	21974	853
8	झारखंड	918249	254520	25530
9	कर्नाटक	707058	380886	36815
10	केरल	449160	320715	29791
11	मध्य प्रदेश	1575079	546920	101470
12	महाराष्ट्र	1091944	80725	9322
13	ओडिशा	1407189	521410	89379
14	पंजाब	102698	18971	5815
15	राजस्थान	823972	315048	23950
16	तमिलनाडु	1282468	506716	55358
17	तेलंगाना	480315	180720	20578
18	उत्तर प्रदेश	4722613	1025236	85773
19	उत्तराखंड	204557	23898	2880
20	पश्चिम बंगाल	1230862	726172	54610
	उप-योग	20442484	6361364	763097
उत्तर पूर्वी राज्य				
21	अरुणाचल प्रदेश	5893	288	112
22	असम	635304	115007	33226
23	मणिपुर	53684	7075	905

24	मेघालय	54380	8024	1558
25	मिजोरम	24524	2278	722
26	नागालैंड	45941	3827	1011
27	सिक्किम	16928	1469	457
28	त्रिपुरा	126461	17231	2030
	उप-योग	963115	155199	40021
संघ राज्य क्षेत्र				
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	581	3	2
30	चंडीगढ़	2378	2486	100
31	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	8754	2109	310
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	107834	36361	4539
33	जम्मू और कश्मीर	106697	6445	2077
34	लद्दाख	6486	443	219
35	लक्षद्वीप	120	75	51
36	पुदुचेरी	17713	9821	1271
	उप-योग	250563	57743	8569
	कुल योग	**21656162**	**6574306**	**811687**

स्रोत: एनएसएपी-पीपीएस

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1289 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-III

एनएसएपी की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार परिव्यय और व्यय का ब्यौरा

(रु करोड़ में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
2019-20	8445.25	8202.79
2020-21	8495.25	8297.03
2021-22	8495.25	7812.98
2022-23	8881.31	8714.74
2023-24	9115.94	9098.75
2024-25	8962.89	2154.17*

*दिनांक 25.07.2024 की स्थिति के अनुसार